

30/11/17

पत्रावली पेश हुई। वकुलाम उपस्थित/पीठासन  
अधिकारी ~~अनुपस्थित~~ पर होने से पत्रावली  
दिनांक..... मिटींग को पेश हो।  
22/3/17

3.17 पत्रावली पेश हुई। तलाशावा चेरा कावे  
हेतु समग्र रिपोर्ट जांच दि. 8.5.17  
को पेश हो।  
5.5.17

11/5/2017 केम्प - माडा

पत्रावली लोक अदालत शिविर केम्प माडा में पेश हुई।  
परिवादी संख्या 2 उपस्थित। पत्रावली एवं उपलब्ध  
रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली के  
अवलोकन से यह जाहिर है कि परिवादी संख्या  
3 से 12 की पत्रावली हेतु 20.4.2016  
से निरंतर वकील वादी के निरंतर देवीरी  
ऑडिट रिपोर्ट के वाक्य (PIF) समग्र प्रस्तुत  
नहीं किए गए हैं। एवं पत्रावली दिनांक 20.4.2016 से  
अन्य दिनांक तक वकील वादी द्वारा समग्र खर्च  
(PIF) न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी  
लिथी में इस वाद को हम लक्षित रखना उचित नहीं  
समझते हैं अतः वाद वादी आदेश 9 नियम 2 CPC  
में उल्लेखित प्रावधानों के अन्तर्गत चुंबि वादी (PIF)  
समग्र प्रस्तुत करने में असफल रहा है। न ही इस संवय  
में कोई हथकड़ी से जी. फा ही प्रस्तुत किया गया है अतः वाद  
वादी खारिज किया जाता है। डि. की पर्याप्त है। आदेश अन  
दिनांक 11.5.2017 को मामला ए आम में सुनाया गया। पत्रावली  
पेशार थुमार होकर संख्या संकम हो।



उपखण्ड अधिकारी  
देसरी (पाली)